

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 414/2020 (GCMS No. 2020/00421) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सीयाराम पुत्र शैतानसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर (राज.)।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत 76 एल.आर.एक्ट विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 10.01.2017 मुकदमा नं. 85/2016 उनवानी सीयाराम बनाम सरकार व तहसीलदार बसेडी का आदेश दिनांक 23.09.2016 प्र.सं. /2016/सिवायचक/03 उनवान सरकार बनाम सियाराम।

उपरिथति:-

1. अपीलान्ट की ओर से श्री हरवीर सिंह, वकील
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 26.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 10.01.2017 एवं तहसीलदार बसेडी के आदेश दिनांक 23.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के विरुद्ध सम्वत् 2073 में वांके ग्राम बोरेली तहसील बसेडी की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 733 रकवा 0.38 हैक्टे. भूमि किस्म नहरी दोयम पर खरीफ फसल ढेंचा बोककर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बोरेली द्वारा की जाने पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलांट को बिना नोटिस तामील कराये व बिना सुने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित कर 247

414
अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिक्रमी बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलांट का कितने वर्षों पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलांट द्वारा कब्जा किया गया था। अपीलांट को पटवारी से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में कहा है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का लगभग 30 वर्ष पूर्व का कब्जा बताया है। जो नियम 21 दि राजस्थान कोलोनाईजेशन मीडियम माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट गवर्मेंट लैण्ड अलोटमेंट रूल्स 1968 के तहत नियमन किये जाने योग्य है। इसलिए अपीलांट की आराजी पर नियमन की सिफारिश की जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 23.09.2016 तहसीलदार बसेडी एवं निर्णय दिनांक 10.01.2017 जिला कलक्टर धौलपुर निरस्त कर अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा माफ की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा न्यायिक नजीर आरएलडब्ल्यू 2008 (1) RJ पेज 670 पेश की।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को तामील भी विधिवत रूप से हुई है। जिसमें अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। जो उसके अपील में वर्णित कथनों से भी प्रमाणित है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया एवं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 733 रकवा 0.38 हैक्टे. किस्म नहरी दोयम सिवायचक भूमि वांके ग्राम बोरेली पर संवत् 2073 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त कर लिये जाने पर विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है, कतई गलत है। पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य को अपीलांट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है। अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई तथा तामील पर फर्जी हस्ताक्षर हैं, के

40
अति. सभातीय आयुक्त
भरतपुर

संबंध में अपीलान्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि तामील विधिवत नहीं हुई और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्त बावजूद नोटिस तामील सूचना नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलान्त का कथन कि विवादित आराजी की तहसीलदार बसेडी द्वारा नियमन की कार्यवाही की सिफारिश की है। नियमन की कार्यवाही तथा धारा 91 की कार्यवाही पृथक-पृथक प्रक्रिया हैं जब तक विवादित आराजी का नियमन अपीलान्त के हक में नहीं हो जाता है तब तक आराजी सिवायचक रहेगी तथा उस पर होने वाला कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में माना जायेगा। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सिवायचक भूमि पर अपीलान्त द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में न्यायालय के मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा दी गई दलीलें सारहीन हैं तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी उनके मददगार साबित नहीं हैं। अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का हम कोई औचित्य नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसेडी का आदेश दिनांक 23.09.2016 एवं जिला कलक्टर धौलपुर का आदेश दिनांक 10.01.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. आज दिनांक 26.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर